न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 05/2022 (बांसवाड़ा डिकी)

1. मानेंग पिता धुलिया, जाति भील, निवासी कालीडूंगरी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. राजेंग पिता धुलिया, जाति भील, निवासी कालीडूंगरी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. धनजी पिता नारजी, जाति भील, निवासी कालीडूंगरी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. लालु पिता नारजी, जाति भील, निवासी कालीडूंगरी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. प्रेम पिता नारजी, जाति भील, निवासी कालीडूंगरी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. हुका पिता नारजी, जाति भील, निवासी कालीडूंगरी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. मीरा बेवा नारजी, जाति भील, निवासी कालीडूंगरी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. स्व. हरदु पिता मंगला के विधिक वारिसान :–

1/1. कालु पिता स्व. हरदु जाति भील, निवासी कालीडूंगरी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

2. भीखा पिता मलिया, जाति भील, निवासी कालीडूंगरी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. गौतम पिता पूंजा, जाति भील, निवासी कालीडूंगरी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. मगन पिता पूंजा, जाति भील, निवासी कालीडूंगरी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्तकारी अधि॰ 1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, बासंवाड़ा दिनांक
15.03.2021 प्रकरण सं0 114/2008

---/---

उपस्थित :– 1– श्री राजेन्द्र पाटीदार अभिभाषक [illegible] अपीलान्टगण
2– श्री यश[illegible] पुरी अभिभाषक प्र.सं. 1 से 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:01 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

निर्णय **दिनांक 25—07—2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी संख्या 1 के पिता व 2 से 4 के दादा मंगला पिता हबला व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पिता/दादा नागजी पिता वसीया के नाम संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी नंबर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा भूमि ग्राम नवा गांव में स्थित है। पक्षकारान की वंशावली वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार है। नागजी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वादीगण की पीछ पीछे उक्त आराजी अपने नाम अवैध रूप से दर्ज करवा ली तथा नागजी की मृत्यु पर उक्त आराजी उसके वारिसान धुलिया, धनजी, नारजी के नाम दर्ज हो गयी, जबकि मौके पर वादीगण अपने 1/2 हिस्से अनुसार काबिज हैं, किन्तु उक्त आराजियात प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो जाने से वादीगण के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः वादी को विवादित आराजी नंबर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा का विभाजन किया जाकर वादी के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण ने आदेश 7 नियम 14 (3) व धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 के तहत बिना किसी कारण का होने से खारिज करने का निवेदन किया।

अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 15—03—2021 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया तथा 1/2 हिस्से अनुसार विभाजन करने हेतु तहसीलदार बांसवाड़ा को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25—03—2022 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से 4 की [illegible] अधिवक्ता श्री यशपाल गुप्ता उपस्थित हुए। अधि[illegible] जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:01 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कोविड–19 महामारी के कारण अपील समयावधि में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी नंबर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा भूमि के एक मात्र स्वामी व आधिपत्यधारी अपीलान्टगण हैं, जिससे रेस्पोन्डेन्ट का कोई संबंध नहीं है, न ही रेस्पोन्डेन्टगण का कब्जा है। अपीलान्टगण का नाम पैत्रक खाता अनुसार बहैसियत उत्तराधिकारी दर्ज हुआ है। रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण ने गलत तथ्य अंकित कर अपने आपको संयुक्त खातेदार बताया है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के स्वीकार कर आनन–फानन में एकतरफा निर्णय पारित कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन कर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न जमाबन्दी सेटलमेंन्ट डिपार्टमेन्ट संवत् 2008 में विवादित आराजी नंबर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा नागजी वल्द वसीया व मंगला वल्द हबला के खातेदारी में हिस्सा बराबर से दर्ज है। [illegible] विवादित आराजियात में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का [illegible] हिस्सा दर्ज रेकार्ड है, किन्तु बाद की जमाबन्दी में उक्त भूमि अकेले [illegible]जी के नाम दर्ज कर दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:01 IST
Reason: SelfAttested

मू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

गयी है एवं नागजी की मृत्यु पश्चात् नागजी के वारिसान के नाम दर्ज कर दी गयी है, जबकि ऐसा कोई आदेश प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त आराजी अकेले नागजी के नाम किस आधार पर दर्ज की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने तनकीवार विवेचन में उक्त दस्तावेजों एवं गवाहों के बयानों पर विस्तृत विवेचन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद स्वीकार किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय 15-03-2021 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 25-07-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:01 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम........**उदयपुर**............
व इजलास ....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.** ....

मानेंग पिता धुलिया, जाति भील, निवासी कालीडूंगरी, तहसील व जिला बांसवाड़ा व अन्य	बनाम	**स्व. हरदु के बजाय कालु पिता स्व. हरदु, जाति भील, नि0 कालीडूंगरी, तहसील व जिला बांसवाडा व अन्य**

अपील नं.......**05/2022**...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**......
.....**बांसवाड़ा**.......... मुकाम................मुवर्खे..........**15**.............माह.............**03**............**2021**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........**25**....माह........**07**....सन् **2024** रूबरू.......**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री राजेन्द्र पाटीदार**.....मिनजानिब अपीलान्ट व........**श्री यशपाल गुप्ता**

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय 15–03–2021 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**25**.......माह.......**07**..........**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:01 IST
Reason: SelfAttested

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल [illegible] आ[illegible] का चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो।